

खबर संक्षेप

समस्त शासकीय सेवाओं के अवकाश प्रतिबंधित

हरिभूमि न्यूज सतना। मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वर्तमान की अप्रत्याशित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए समस्त शासकीय सेवाओं के अवकाश प्रतिबंधित कर दिये हैं। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सतना डॉ.सतीश कुमार एस ने इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले के समस्त शासकीय सेवक अपने मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। विशेष परिस्थितियों में यथा स्वयं अथवा स्वयं के परिवार में विवाह, प्रसूति एवं संतान पालन, गंभीर बीमारी, दुर्घटना, स्वयं के परिवार में घटित अप्रत्याशित घटना आदि के संबंध में जिला स्तर पर कलेक्टर से अवकाश के संबंध में स्वीकृत/ अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्मार्ट सिटी सतना में

आपातकालीन संचालन केन्द्र प्रारंभ

हरिभूमि न्यूज सतना।

मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ.सतीश कुमार एस ने स्मार्ट सिटी सतना में आपातकालीन संचालन केन्द्र स्थापित किया है। सतना जिले में आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान प्रतिक्रिया, कमांड, कंट्रोल तथा समन्वय की कार्यवाहियों के लिए स्मार्ट सिटी सतना के अंतर्गत स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर को आपातकालीन संचालन केन्द्र बनाया गया है। जिसमें ईओसी का दूरभाष नम्बर 07672-231433 होगा।



छोटे भाई ने दी मुखाम्नि, पूरे इलाके में गमगीन माहौल

हरिभूमि न्यूज सतना। इयूटी के दौरान गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए जैतवारा थाने के प्रधान आरक्षक प्रिंस गर्ग ने 11 दिन तक मौत से संघर्ष के बाद शुक्रवार को दिल्ली के मेक्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। शनिवार सुबह उनका पार्थिव शरीर 6 बजे सतना स्थित उनके महदेवा इलाके में स्थित निवास पर लाया गया, जहां गमगीन माहौल में पूरा परिवार और जिला प्रशासन के साथ पुलिस महकमा मौजूद रहा। महादेवा मुक्तिधाम में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान प्रिंस गर्ग को उनके छोटे भाई कपिल गर्ग ने मुखाम्नि दी।



जल गंगा संवर्धन अभियान की कलेक्टर ने की समीक्षा

हरिभूमि न्यूज सतना। कलेक्टर डॉ.सतीश कुमार एस ने शनिवार को जिला पंचायत सतना के सभागार में बैठक लेकर जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत संजना जैन, कार्यपालन यंत्री आरईएस सीएल साकेत, जनपद के सीईओ, सहायक यंत्री, उपयंत्री और जिला पंचायत का मनरेगा स्टाफ उपस्थित रहा। कलेक्टर ने जनपद पंचायतों के समस्त सीईओ, सहायक यंत्री, उपयंत्री से जनपद वार उपयंत्री वार, खेत, तालाब, डग वेल, फॉर्मपांड के कार्यों हेतु उपयंत्री वार लक्ष्य अनुसार पृथक-पृथक

कार्य वार कार्यों के जारी टी एस और जारी टीएस अनुसार एएस की प्रगति की समीक्षा की गई। जिसमें रामपुर बघेलान, सोहावल, उचेहरा, नागौद के स्वीकृत कार्य में शुरू होने की अपेक्षित प्रगति कम पाये जाने पर संबंधित सहायक यंत्री, उपयंत्री के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित जनपद पंचायतों के सहायक यंत्री एवं जनपद पंचायतों के समस्त उपयंत्रियों का एक सप्ताह के वेतन कटौती करने का निर्देश ईई आरईएस को दिए। उन्होंने कहा कि अगले शनिवार को पुनः समीक्षा की जायेगी और प्रगति नहीं पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने जनपद सीईओ से जल

गंगा संवर्धन कार्यों की कमजोर प्रगति जाननी चाही। नागौद सीईओ द्वारा बताया गया कि जनपद क्षेत्र में काम देरी से चालू हुआ और नहर का कार्य चल रहा है। कलेक्टर ने अगले शनिवार तक जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रगति आनी चाहिए। जल गंगा संवर्धन अभियान के लगभग 40 दिनों में 5 उपयंत्रियों द्वारा बहुत ही कम काम किये जाने पर इनके एक सप्ताह का वेतन काटने के निर्देश कलेक्टर ने दिये। इनमें रामनगर के उपयंत्री अतुल सिंह, मैहर के राघवेंद्र मिश्रा, रामपुर बघेलान के उपयंत्री अन्नपूर्णा सिंह, सोहावल के उपयंत्री आशुतोष वर्मा, व्ही.के.मिश्रा के नाम शामिल है।

वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनायी गयी



हरिभूमि न्यूज सतना। श्री राजपूत करणी सेना सतना के तत्वावधान में शुक्रवार को वीरशिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती बड़े धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनायी गयी। जयंती समारोह का शुभारंभ सिविल लाइन सतना चौपाटी से भव्य शोभा यात्रा हजारों जनसमुदाय के साथ ढोल, डीजे के साथ निकाली गई जो हवाई पट्टी स्थित महाराणा प्रताप जी के प्रतिमा के पास पहुँचकर महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का विधिवत पूजन किया गया।

नेशनल लोक अदालत शिविर में

1279 प्रकरणों का हुआ निराकरण

हरिभूमि न्यूज सतना।

म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार 10 मई 2025 को जिला विधिक सेवा प्रो. वि. क. र. ण (ए.डी.आर.सेंटर), सतना में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसका शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रत्नेशचन्द्र सिंह बिसेन द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। प्रधान जिला न्यायाधीश ने अपने उद्बोधन में उपस्थित समस्त न्यायाधीशगणों, अधिवक्ताओं, पक्षकारों को संबोधित करते हुए कहा कि लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण परस्पर सहमति से कराने पर समय एवं धन की बर्बादी रोकी जा सकती है। उन्होंने नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण करायें जाने का आह्वान किया। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित कुल 997 एवं प्रिलिटिगेशन के 282 प्रकरणों सहित कुल 1279 प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति से किया गया। इस अवसर पर जिला प्राधिकरण के सचिव पार्थ शंकर मिश्र सहित न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण तथा अधिकारी उपस्थित रहे।



आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी

हरिभूमि न्यूज सतना। कलेक्टर डॉ.सतीश कुमार एस ने मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत जारी निर्देशों के अनुक्रम में सभी संबंधित विभागों के जिला प्रमुख अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत जारी निर्देशों में कहा गया है कि समस्त अस्पतालों में सभी प्रकार की आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयों, उपकरण उपलब्ध रहें। डाक्टर मय स्टाफ उपस्थित रहे तथा ब्लड बैंक में सभी ग्रुपों के रक्त की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहे। इसके साथ-साथ विभिन्न अस्पतालों व स्कूलों के मध्य टेम्पेरी रहने की व्यवस्था की जा सकती है। जहाँ जरूरतों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। सोशल मीडिया पर पूर्ण निगरानी रखें तथा देश के विरुद्ध भड़काव पोस्ट अथवा सामग्री पर तुरंत कानूनी कार्यवाही करें, जिससे

कि प्रदेश में माहौल खराब न हो। इस हेतु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। जिला प्रशासन सुनिश्चित करें कि आपात स्थिति में जिलों में पर्याप्त खादय सामग्री, पेट्रोल-डीजल, घरेलू गैस इत्यादि उपलब्ध रहें। लोग खादय सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का अनावश्यक भण्डारण नहीं करें। लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि आपात स्थिति में पेयजल की पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध रहे। जिलों के अति संवेदनशील स्थलों की सूची को अद्यतन करें। जिसमें अस्पताल, पावर प्लांट, तेल एवं गैस के डिपो, धार्मिक स्थल, भारत सरकार के संस्थान की जानकारी अद्यतन कर रखी जाए। जिलों में ग्राम एवं पंचायत स्तर पर नागरिक सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी जावे जिससे लोगों में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना बनी रहे। अग्निशमन सेवाओं को सक्रिय रखा जाए। इस हेतु

उपकरणों की जांच इत्यादि कर ली जाए। संचार सेवाओं को सुचारू बनाया जाए। इस हेतु दूरसंचार कंपनियों के साथ समन्वय करें। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को पर्याप्त संख्या में चालू स्थिति में रखा जाए। आपदा प्रबंधन की माँक ड्रिल एवं चेतावनी के परिप्रेक्ष्य में शहरों में सायरन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस हेतु स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन आवश्यक समन्वय कर व्यवस्था सुनिश्चित करें। आपदा की स्थिति में गैर सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय सेवा योजना और एनसीसी और सिविल स्वयं सेवकों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे ताकि राहत एवं बचाव कार्य में प्रभावी सहयोग मिल सकें। उद्योगों में उत्पादन सुचारू रूप से जारी रखा जाए। उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। लोक निर्माण विभाग सडक, पुलों की देखभाल एवं सुरक्षा सुनिश्चित करें। उर्जा विभाग विद्युत प्रदाय की निरंतर आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

हरिभूमि

समाचार ही नहीं, विचार भी

अब हर माह आप बनेंगे भाग्यशाली विजेता

महाबम्पर ड्रा में शामिल होने का सुनहरा अवसर

प्रथम पुरस्कार

1 तोला, 5 नग सोने का हार

द्वितीय पुरस्कार

1 स्कूटी (EV)

तृतीय पुरस्कार

2 नग रेफ्रिजरेटर

चतुर्थ पुरस्कार

3 नग LED TV

सातवां पुरस्कार

1100

नियम व शर्तें : 1. हर माह जन्मदिन उत्सव फॉर्मेट प्रकाशित किया जायेगा। योजना में भाग लेने के लिए पाठकों को हरिभूमि में प्रकाशित फॉर्मेट को भरकर हरिभूमि कार्यालय, व्यूरो कार्यालय या अपने एजेंट/एजेंसी के पास जमा कर सकते हैं। 2. हरिभूमि के नये एवं पुराने पाठक इसमें भाग ले सकते हैं, जन्मदिन के फॉर्मेट एक माह पहले भेजा जायेगा, उनके जन्मदिन पर उन्हें सुनिश्चित उपहार दिया जायेगा। 3. प्राप्त जन्मदिन के फॉर्मेट को एकत्रित कर महाबम्पर ड्रा में शामिल किया जायेगा जिसका ड्रा नवम्बर 2025 में किया जायेगा। 4. जन्मदिन फॉर्मेट के साथ आचार्य काई या जन्म प्रमाण पत्र की छायावृत्ति के साथ 3 माह अखबार का मासिक विल लगाना अनिवार्य होगा। 5. जन्मदिन फॉर्मेट की फोटो कापी मान्य नहीं होगी। 6. राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के सभी नियम लागू होंगे। इस योजना के विजेता को आयकर के नियम व शर्तें मान्य होंगी। हरिभूमि निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सार्वमान्य होगा। किसी प्रकार के विवाद में न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा। हरिभूमि कर्मचारी, एजेंट व उनके परिवार के सदस्य इस योजना के पात्र नहीं हो सकते। 7. विषय में दर्शाए गए उपहार भिन्न हो सकते हैं।

खबर संक्षेप

सलेहा में शराब दुकान के विरोध में महिलाओं ने सड़क पर बैठ कर जताया विरोध



डॉ. राजेश वर्मा विधायक के आश्वसन पर बंद हुआ विरोध प्रदर्शन
हरिभूमि न्यूज। पन्ना जिला पवित्र और पर्यटन जिला है जहां पर ऐतिहासिक मंदिर पन्ना टाइगर रिजर्व है पन्ना नगरी पवित्र नगरी घोषित हो चुकी है और शहर में शराब की दुकान ना हो उसके लिए सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया की शहर के अंदर शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी शहर के बाहर शराब की दुकान रहेगी ताकि आमजन को नुकसान ना हो और परेशानियों का सामना न करना पड़े इसको लेकर जिले में शराब की दुकान शहर से बाहर खोल दी गई लेकिन कुछ जगहों पर शराब की दुकान खोले जाने पर विवाद की स्थितियां बन गई है कुछ दिन पहले पहाड़ीखेड़ा लाइन में भी रोड पर शराब की दुकान होने से लोगों ने विरोध किया और ज्ञापन दिए क्योंकि मुख्य मार्ग में शराब की दुकान होने से आए दिन दुर्घटना होने की संभावना रहती है इसको लेकर लोगों ने विरोध किया क्योंकि रोड पर सड़क की दुकान होने से दुर्घटनाएं होंगी जिले में शराब की दुकान को लेकर और भी जगह विरोध किया गया क्योंकि जो शराब की दुकान खोली गई है वह सही जगह पर नहीं है सलेहा में भी इसका असर देखने को मिला क्योंकि बीच बस्ती में शराब की दुकान होने से लोगों को परेशानी हो रही है बीच बस्ती में शराब की दुकान होने से सलेहा में महिलाओं ने विरोध किया और रोड पर बैठ गई दो दिन से शराब दुकान बंद है और महिलाओं का कहना है कि यह दुकान बीच बस्ती में नहीं होनी चाहिए इस नगर से बाहर खोला जाए ताकि बहु बेटियों को परेशानी ना हो आज गुनौर विधानसभा के विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा सलेहा पहुंचे और उन्होंने महिलाओं से मौके पर पहुंचकर वहां की महिलाओं से बातचीत की महिलाओं का कहना है कि बीच बस्ती में शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए हम लोगों को परेशानी होती है इस शहर से बाहर खोला जाए ताकि बहु बेटियां सुरक्षित रह सके और किसी को परेशानी ना हो विधायक डॉ राजेश वर्मा ने मौके पर कलेक्टर पन्ना से बात की और महिलाओं को आश्वासन दिया कि आप लोग चिंता मत करो शराब की दुकान बस्ती से बाहर ही खोली जाएगी।

मौं कलेही धाम में सुविधाएं सुधारने की शुरुआत, बंद फ्रिजरो की मरम्मत और इन्वर्टर दुरुस्तीकरण शुरू

हरिभूमि न्यूज पवई। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध मौं कलेही धाम में श्रद्धालुओं की हो रही मूलभूत सुविधाओं की समस्या को लेकर प्रकाशित समाचार का असर साफ दिखाई देने लगा है। मीडिया द्वारा आवाज उठाने के बाद मंदिर समिति और स्थानीय शासन ने व्यवस्थाएं सुधारने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। मंदिर परिसर में वर्षों से बंद पड़े तीन फ्रिजरो में से एक को मरम्मत के बाद चालू कर दिया गया है। जबकि शेष दो फ्रिजर अभी भी खराब हैं उनमें पानी तो पहुंचता है पर ठंडा नहीं होता है, जिन्हें प्रशासन जल्द बाहर से तकलीकी मिस्री तबुलवाकर ठीक कराने की बात कर रहा है। इसके अलावा, मंदिर परिसर में स्थित पानी की टंकी से जल आपूर्ति करने वाली मोटर भी खराब पाई गई थी, जिसके कारण श्रद्धालुओं को परिसर में पानी नहीं मिल पा रहा था। अब मोटर की मरम्मत की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है ताकि जल्द ही पूरे परिसर में सुचारु जल आपूर्ति बहाल की जा सके। इन्वर्टर जो पिछले सप्ताह से खराब पड़ था, उसे भी बदल कर नया सेट और बैटरियां मंगवाई जा चुकी है, अब बिजली गुल होने की स्थिति में रोशनी और सीसीटीवी निगरानी बाधित नहीं होगी। मुख्य पुजारी डॉ. हरिकेश बढोल्या ने बताया, श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।



हरिभूमि न्यूज पवई। पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार के निर्देश पर नवागत जिला आबकारी अधिकारी पन्ना मुकेश कुमार भी के मार्गदर्शन में पन्ना जिले में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चल रहा है। इसी तारतम्य में आबकारी विभाग द्वारा अप्रैल से अब तक में ग्यारहवीं बड़ी कार्रवाई की गई है। एक मोटर साइकिल पर दो व्यक्तियों द्वारा ले जा रहे 298 पाव देशी शराब का अवैध परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया है। आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त पन्ना मुकेश कुमार पाण्डेय ने बताया विश्वस्त मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गुनौर से पवई की तरफ एक मोटर साइकिल से दो व्यक्ति अवैध शराब लेकर जा रहे हैं। उक्त सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी और उनके निर्देश पर आबकारी स्टाफ को लेकर मौके के लिए रवाना हुए। मौके पर आबकारी टीम द्वारा ग्राम पडरिया के पास सड़क पर छिपकर इंतजार किया गया। कुछ देर बाद एक मोटर साइकिल पर दो संदेही आते दिखे। आबकारी दल द्वारा उन्हें रोककर पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम जितेंद्र लोधी पिता प्रकाश लोधी , उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम कूपन, थाना पवई और विमलेश लोधी पिता पुरुषोत्तम लोधी, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम कूपन, थाना पवई। मोटरसाइकिल पर रखे सामान के बारे में पूछ तो उन्होंने शराब होना बताया। मौके पर ही जब मोटरसाइकिल पर रखी बड़ी बोरी (झाल) की विधिवत तलाशी ली तो उसमें छह कागज के कार्टून में 298 पाव देशी शराब प्लेन कुल मात्रा 54 बल्क लीटर अवैध शराब कीमती 22,500 रुपए बराबर हुई। आरोपियों से जब उक्त शराब के संबंध में कोई वैध परमिट या लायसेंस मांगा तो उन्होंने कोई परमिट या लायसेंस न होना बताया। उक्त शराब और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बजाज होडा लिंको की जप्त कर दोनों आरोपियों को मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अपराध में मौके से गिरफ्तार किया। आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल पन्ना भेजा गया। प्रकरण की विवेचना जारी है। शराब के इस अवैध कारोबार में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त पन्ना मुकेश कुमार पाण्डेय, आबकारी महिला आरक्षक रिमता ठाकुर, आबकारी आरक्षक रवि प्रकाश मिश्रा, सोनू कौरकू,नगर सैनिक मोतीलाल प्रजापति, नगर सैनिक वीरेंद्र यादव और सुशांत सिंह शामिल रहे।



लंबित प्रकरणों के निराकरण सहित पटवारियों की समय पर उपस्थिति दर्ज कराने के लिए निर्देश

फार्मर रजिस्ट्री कार्य भी समय सीमा में पूर्ण करें

हरिभूमि न्यूज पन्ना।

कलेक्टर सुरेश कुमार ने शनिवार को कलेक्टर सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर समस्त लंबित राजस्व प्रकरणों के तत्परतापूर्वक निराकरण सहित आमजनों की समस्याओं के समय पर प्रभावी निराकरण के निर्देश दिए गए। साथ ही भू-अभिलेख के डिजिटाइजेशन के लिए पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने तथा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के शेष हितवाहियों का फार्मर रजिस्ट्री कार्य भी समया सीमा में पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। इस महत्वाकांक्षी कार्य में लापरवाही बरतने वाले पटवारी एवं अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी। इस दौरान फार्मर रजिस्ट्री में ग्रामवार रिव्यू कर प्रगति लाने तथा आगामी 30 जून तक अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करने सहित तकनीकी समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित कराने के लिए भी कहा।

कलेक्टर श्री कुमार ने कहा कि स्वामित्व योजना में भी जिले की प्रगति कम है। इसमें सुधार के लिए जरूरी कार्यवाही सहित समयावधि में दस्तावेज के अंतिम प्रकाशन तथा कुछ ग्रामों के लंबित नक्शा की कार्यवाही भी पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसी तरह समस्त राजस्व अधिकारियों को प्रत्येक आवक पत्रों का समय पर अवलोकन कर काम में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने लक्ष्य निर्धारित कर आगामी 15 जून तक पीएम किसान हितवाही के बैंक खाता लिंकिंग व ई कैवयसी कार्यवाही भी पूर्ण कराने के लिए कहा। इसके अलावा डायवर्जन के माध्यम से वसूली पर ध्यान केंद्रित करने



तथा जिले के विभिन्न स्थानों पर कृषि भूमि के व्यवसायिक उपयोग पर संबंधित को नोटिस जारी कर कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। इसके अलावा विभिन्न मजरा-टोला के नवीन राजस्व ग्राम घोषित होने पर नक्शा तथा नियम व निर्देशों के मुताबिक भू अभिलेख तैयार करने के लिए कहा। बैठक में चरनोई भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने, आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के नियमित रूप से निराकरण, साइबर तहसील में समय पर पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत करने व नामांतरण, बंटवारा व सीमांकन के प्रकरणों में भी गंभीरतापूर्वक दायित्व निर्वाहन के निर्देश दिए। समस्त राजस्व अधिकारियों को नियम निर्देशों से निरंतर अद्यतन रहने तथा प्रथमिकता के साथ 6 माह से अधिक पुराने प्रकरणों में कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया।

कलेक्टर ने कहा कि नियमित अंतराल में पटवारियों की फिजिकल बैठक करने के साथ ही सिमरिया, रेपुरा एवं शाहनगर तहसील में अनिवार्य रूप से लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में एक सप्ताह में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि वे स्वयं बुधवार, 14 मई को रेपुरा तहसील में लंबित प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करेंगे। इसके पूर्व संबंधित तहसीलदार को आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि समस्त पटवारियों को नियमित रूप से मुख्यालय पर उपस्थित रहकर आमजनों की समस्याओं के निराकरण तथा पड़ोस दायित्वों के निर्वहन के लिए पारबंद किया जाए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि बार-बार निर्देशों के बावजूद कार्य

में लापरवाही बरतने पर संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के मुताबिक लघु एवं दीर्घ शास्ति से दंडित करने का निर्णय लें। कलेक्टर ने भू अर्जन के शेष लंबित प्रकरणों के तत्काल शत-प्रतिशत निराकरण के सख्त निर्देश भी दिए। साथ ही शासन संधारित मंदिरों की भूमि पर अवैध फसल अथवा अतिक्रमण पर कार्यवाही की चेतावनी देते हुए कहा कि 10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाले मंदिरों की भूमि की नीलामी कर खाते में राशि जमा कराना भी सुनिश्चित किया जाए। पूर्व में गठित विभिन्न समितियों के खाता खुलवाने और आवश्यक मरम्मत संबंधी कार्यों की अनुमति के लिए विभिन्न स्तर पर निर्धारित राशि के प्रावधान अनुसार सक्षम

प्राधिकारी की नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव भेजने के लिए कहा। राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा के दौरान जिला कलेक्टर ने विभिन्न मंडों में समय पर वसूली करने तथा अर्थदण्ड की राशि तत्काल जमा कराने सहित आदेश उपरत इसका पालन सुनिश्चित कराने की बात भी कही। साथ ही प्रत्येक माह रिकवरी कार्यों में प्रगति लाने, बैंकिंग ऑडिट कण्टिकाओं के निराकरण, हिस्स वसूली कार्यों में प्रभावी कार्रवाई के लिए भी कहा। साथ ही स्पष्ट प्रतिवेदन के साथ विभिन्न नस्त्रियां प्रेषित करने के निर्देश दिए। तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के नवीन भवन और आवास निर्माण सहित अन्य आवश्यक मरम्मत कार्यों के लिए विधिवत प्रस्ताव प्रेषित करने, इसके लिए उपयुक्त भूमि का चिह्नंकन कर खसरा व नक्शा नकल आगामी प्रक्रिया के लिए अखिलंब प्रदान करने, नगरीय निकायों और विभिन्न शासकीय विभागों के भूमि आवंटन प्रकरणों के मामलों में नजरी व टेस नक्शे के साथ प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया। इसी तरह बंटन भूमियों को भू अभिलेख में अहस्तांतरणीय दर्ज करने तथा भू अर्जन के समस्त आवंट प्रकरणों को लैंड रिकार्ड में अमल करने के लिए भी निर्देशित किया गया। इसके अलावा केन बेतवा लिंक परियोजना अंतर्गत शेष मुआवजा वितरण प्रकरणों के शीघ्र निराकरण व निर्माणधीन रेल परियोजना से संबंधित चिन्हांकित मामलों की जांच कर लंबित भुगतान सुनिश्चित कराने तथा सीएम हेल्पलाइन सहित सीएस मौलिक के मामलों में समय सीमा में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। इसी तरह न्यायालयीन मामलों में जवाबदावा दाखिल करने सहित गौक्षकाल में पेयजल उपलब्धता, खाद्यान्न वितरण, उपाजित फसल के परिवहन तथा अन्य प्रकरणों के निराकरण के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर नीलाम्बर मिश्र, संयुक्त कलेक्टर कुशल सिंह गौतम, अधीक्षक भू अभिलेख ब्रिगेड सिंह प्रसन्न सहित सभी एसडीएम एवं तहसीलदार उपस्थित थे।

जल गंगा संवर्धन अभियान

श्रमदान के जरिए की प्राचीन बावड़ी की साफ-सफाई



हरिभूमि न्यूज पन्ना।

जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत आज सुबह नगर पालिका परिषद पन्ना के तत्वाधान में जनसहभागिता से पन्ना शहर के वार्ड क्रमांक 12 में दीनदयाल रसोई के पास स्थित 300 वर्ष पुरानी बावड़ी की साफ-सफाई की गई। इस अवसर पर नपाध्यक्ष लाल पाण्डेय, कलेक्टर सुरेश कुमार, जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मराठी एवं सीएमओ शंशिकर्ष गढ़पाले ने भी श्रमदान किया। साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों, नगर पालिका के सफाई मित्र एवं अन्य कर्मचारियों, जनअभियान परिषद के वॉलंटियर द्वारा भी श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित आमजनों को अभियान के महत्त्व के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही प्राचीन जल स्रोतों को निरंतर स्वच्छ बनाए रखने तथा स्वच्छता की आदत विकसित करने के लिए भी प्रेरित किया गया। इस मौके पर नपाध्यक्ष ने इसे सराहनीय गतिविधि बताते हुए कहा कि इस अभियान में जनप्रतिनिधियों का हरसंभव सहयोग प्राप्त होगा। जिला कलेक्टर ने शहर की जल संरचनाओं को पुर्नजीवित करने का आह्वान करते हुए कहा कि बावड़ियों हमारी धरोहर हैं। इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें। जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि सामूहिक श्रमदान कार्य निश्चित ही प्राचीन जल संरचनाओं के पुनर्जीवन के लिए परिणाममूलक साबित होगा। सीएमओ ने चिन्हांकित जल संरचनाओं की साफ सफाई व जीर्णोद्धार कार्य के बारे में अवगत कराया तथा जल गंगा संवर्धन अभियान को सफल बनाने की अपील की।

सोशल मीडिया पर फैलाई अफवाह तो होगी जेल, पन्ना पुलिस की चेतावनी, मॉनिटरिंग सेल रख रही 24 घंटे नजर



जानकारी साझा करता है, तो उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल लगातार इन प्लेटफॉर्म पर नजर रखे हुए है। 10 मई को जारी आधिकारिक सूचना में पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें और किसी भी संदेश को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच अवश्य करें।

फर्जी लिंक और ाड़ फाइलों से भी रहें सतर्क-

पुलिस ने लोगों को चेताया है कि कई बार अज्ञात लिंक या ाड़ फाइलों के माध्यम से मोबाइल हैकिंग की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसी संदिग्ध फाइलों को क्लिक न करें और किसी को फॉरवर्ड भी न करें।

अफवाह फैलाने वालों की छैर नहीं-

पुलिस का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की सामग्री को जानबूझकर साझा करता है, तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट सहित संबंधित धाराओं में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पन्ना पुलिस की अपील-

सामाजिक सौहार्द बनाए रखें, किसी भी प्रकार की नफरत, द्वेष या हिंसा फैलाने वाले संदेशों से दूर रहें और जिम्मेदार नागरिक की तरह सोशल मीडिया का उपयोग करें।

आबकारी विभाग द्वारा फिर से मोटर साइकिल से शराब तस्करी करते दो व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा



हरिभूमि न्यूज पन्ना। पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार के निर्देश पर नवागत जिला आबकारी अधिकारी पन्ना मुकेश कुमार भी के मार्गदर्शन में पन्ना जिले में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चल रहा है। इसी तारतम्य में आबकारी विभाग द्वारा अप्रैल से अब तक में ग्यारहवीं बड़ी कार्रवाई की गई है। एक मोटर साइकिल पर दो व्यक्तियों द्वारा ले जा रहे 298 पाव देशी शराब का अवैध परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया है। आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त पन्ना मुकेश कुमार पाण्डेय ने बताया विश्वस्त मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गुनौर से पवई की तरफ एक मोटर साइकिल से दो व्यक्ति अवैध शराब लेकर जा रहे हैं। उक्त सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी और उनके निर्देश पर

आबकारी स्टाफ को लेकर मौके के लिए रवाना हुए। मौके पर आबकारी टीम द्वारा ग्राम पडरिया के पास सड़क पर छिपकर इंतजार किया गया। कुछ देर बाद एक मोटर साइकिल पर दो संदेही आते दिखे। आबकारी दल द्वारा उन्हें रोककर पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम जितेंद्र लोधी पिता प्रकाश लोधी , उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम कूपन, थाना पवई और विमलेश लोधी पिता पुरुषोत्तम लोधी, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम कूपन, थाना पवई। मोटरसाइकिल पर रखे सामान के बारे में पूछ तो उन्होंने शराब होना बताया। मौके पर ही जब मोटरसाइकिल पर रखी बड़ी बोरी (झाल) की विधिवत तलाशी ली तो उसमें छह कागज के कार्टून में 298 पाव देशी शराब प्लेन कुल मात्रा 54 बल्क लीटर अवैध शराब कीमती 22,500 रुपए बराबर हुई। आरोपियों से जब उक्त शराब के संबंध में कोई वैध परमिट या लायसेंस मांगा तो उन्होंने कोई परमिट या लायसेंस न होना बताया। उक्त शराब और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बजाज होडा लिंको की जप्त कर दोनों आरोपियों को मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अपराध में मौके से गिरफ्तार किया। आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल पन्ना भेजा गया। प्रकरण की विवेचना जारी है। शराब के इस अवैध कारोबार में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त पन्ना मुकेश कुमार पाण्डेय, आबकारी महिला आरक्षक रिमता ठाकुर, आबकारी आरक्षक रवि प्रकाश मिश्रा, सोनू कौरकू,नगर सैनिक मोतीलाल प्रजापति, नगर सैनिक वीरेंद्र यादव और सुशांत सिंह शामिल रहे।

पटवारी नहीं मानती तहसीलदार का आदेश रास्ते से अतिक्रमण हटवाने भटक रहे फरियादी

हरिभूमि न्यूज पन्ना।

पन्ना। जिले के अजयगढ़ तहसील क्षेत्र के कुछ पटवारियों की मनमानी और लापरवाही की वजह से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। तहसीलदार के आदेश के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने से आए दिन विवाद हो रहे हैं, कई बार खून खराबा भी हो चुका है, इसके बावजूद लापरवाही जारी है। ताजा मामला रतनपुर बहिरवारा का सामने आया है। फरियादी देशराज लोध पन्ना कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में शिकायती आवेदन प्रस्तुत कर बताया है कि ढाल सिंह पिता रामखेलावन लोध निवासी रतनपुर द्वारा आम रास्ते में अतिक्रमण किया गया है जिससे आवागमन बाधित हो रहा है शिकायती के आधार पर तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटवाने आदेश जारी किया गया था, लेकिन तीन माह बीतने के बाद भी पटवारी के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई जिससे अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है और लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इनका कहना है-

अभी हल्का पटवारी अवकाश पर है तथा इस मामले में दल बनाकर सीमांकन कराया जायेगा।

सुरेन्द्र अहिरवार, तहसीलदार अजयगढ़



अमानगंज पुलिस ने 8 वर्ष से फरार स्थाई वारण्टी को किया गिरफ्तार



अमानगंज पन्ना:

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पन्ना द्वारा गिरफ्तारी / स्थाई वारण्टियों की अधिक संख्या के तहत अमानगंज पुलिस को माननीय न्यायालय पन्ना के प्रकरण क्र. 39/2017 धारा 363,366,376 ताहि पोक्सो एक्ट में 08 वर्ष से फरार स्थाई वारण्टी अमन उर्फ अमर चंद्रार पिता शिवदयाल चंद्रार उम्र 30 साल निवासी गरीली थाना नौगांव जिला छतरपुर को मुखबिर सूचना पर दबिस दी गई जो वारण्टी

उक्त को बस स्टेण्ड नौगांव जिला छतरपुर से दिनांक 10.05.2025 को गिरफ्तार किया गया है जिसे माननीय न्यायालय पेश किया गया । गिरफ्तार आरोपीगण:- स्थाई वारण्टी अमन उर्फ अमर चंद्रार पिता शिवदयाल चंद्रार उम्र 30 साल निवासी गरीली थाना नौगांव जिला छतरपुर सराहनीय योगदान:- थाना प्रभारी निरी. माधवी अग्निहोत्री , सजिन शिवराम नायक , प्र.आर. शिवम शर्मा, सलीम, लक्ष्मण मुकेश सोनी, आर. मुनेन्द्र,सतीश , द्वारका प्रसाद, तुलसी, अमित। अमानगंज पुलिस ने 08 वर्ष से फरार स्थाई वारण्टी को किया

गिरफ्तार:- श्रीमान पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा गिरफ्तारी / स्थाई वारण्टियों की अधिक संख्या के तहत अमानगंज पुलिस को माननीय न्यायालय पन्ना के प्रकरण क्र. 166/17 धारा 25बी आर्म्स एक्ट में 08 वर्ष से फरार स्थाई वारण्टी जगदीश सिंह उर्फ लल्लू राजा पिता स्व.श्री भगवान सिंह निवासी सिमराकला थाना पवई जिला

पन्ना को मुखबिर सूचना पर दबिस दी गई जो वारण्टी उक्त को सम्राट ढावा अमानगंज से दिनांक 10.05.2025 को गिरफ्तार किया गया है जिसे माननीय न्यायालय पेश किया गया । गिरफ्तार आरोपीगण:- स्थाई वारण्टी जगदीश सिंह उर्फ लल्लू राजा पिता स्व.श्री भगवान सिंह निवासी सिमराकला थाना पवई जिला पन्ना सराहनीय योगदान:- थाना प्रभारी निरी. माधवी अग्निहोत्री , प्र.आर. सुलेख , लक्ष्मण , शिवम शर्मा, मुकेश सोनी , मुकेश शर्मा आर. मुनेन्द्र ,सतीश , द्वारका प्रसाद, तुलसी , अमित।



14 और 28 मई को
लगेगे विद्युत उपभोक्ता
शिकायत निवारण शिविर

छतरपुर। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के निर्देशानुसार छतरपुर जिले के विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तरीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर सर्टई रोड स्थित अधीक्षण अभियंता (संचालन/संधारण) म.प्र.पू.बि.वि.कॉ.लि. कार्यालय, छतरपुर में 14 मई और 28 मई 2025 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। अधीक्षण अभियंता ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि और समय पर शिविर में उपस्थित होकर अपनी शिकायतें दर्ज कराएं और उनका निराकरण करावाएं।

जघन्य हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

लवकुशनगर। लवकुशनगर की अपर सत्र न्यायालय ने जघन्य हत्या के मामले में तीन आरोपियों रवि बसोर, मुकुन् अहिंरवार और जानकी अहिंरवार को आजीवन कारावास तथा 500-500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न चुकाने पर प्रत्येक को एक माह का अतिरिक्त कारावास सुनातना होगा। मामला जुझारनगर थाने का है, जहां 1 अप्रैल 2023 को मातादीन अहिंरवार ने शिकारजन दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि वह खेती-किसानी करते हैं और उनकी मुकुन् अहिंरवार से खेत की मेज की लेकर पुरानी रंजिश थी। उनका माई दिस्सू उर्फ देशराज खाने-पीने का शौकीन थी। 31 मार्च 2023 की रात करीब 11 बजे मुकुन् अहिंरवार और रवि बसोर उनके कच्चे वाले मकान पर आए और दिस्सू की मुर्गा को मारने की पाटी के लिए अपने साथ ले गए। दिस्सू रात को घर नहीं लौटा। अगली सुबह करीब 8 बजे मोहल्ले वालों ने मातादीन को बताया कि पुरानी रंजिश के चलते मुकुन् अहिंरवार, उनकी पत्नी जानकी और रवि बसोर ने मिलकर दिस्सू की मुकुन् के घर के कमरे में मारपीट कर हत्या कर दी। मातादीन ने मुकुन् के घर जाकर देखा तो दिस्सू मृत अवस्था में मिला। प्रकरण को पैरवी एडीपीओ किशोरीलाल प्रजापति ने की। अपर सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

डीईओ ने ली प्राचार्यों की बैठक



लवकुशनगर। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) आरपी प्रजापति ने विकासखंड के अंतर्गत स्कूलों के प्राचार्यों की बैठक कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित की। बैठक में संकुल प्राचार्यों, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों ने हिस्सा लिया। डीईओ ने एमपी टास्क पोर्टल, छात्रवृत्ति, अर्जित अजकाश, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों और बोर्ड परीक्षा परिणामों की समीक्षा की। डीईओ ने सख्त निर्देश दिए कि सभी प्राचार्य एससी, एस्टी छात्रों की लैबित छात्रवृत्ति और ऑनलाइन आवेदनों को शत-प्रतिशत पूरा करें। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का त्वरित निराकरण और जनसुनवाई में लैबित अर्जित अजकाश के प्रकरणों को शीघ्र निपटाने को कहा। उन्होंने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के परीक्षा परिणामों की जानकारी मांगी और चेतावनी दी कि कम परिणाम वाले स्कूलों के प्राचार्यों पर कार्रवाई होगी। डीईओ ने संकुल प्राचार्यों को शासकीय और अशासकीय स्कूलों की मीपिंग और छात्रवृत्ति कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए, अन्यथा सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से राघवेंद्र, बीईओ आरडी चौरसिया सहित संकुल प्राचार्य मौजूद रहे।

गांधी आश्रम में कलाओं को निखार रहे नन्हें कलाकार



छतरपुर। शहर के गांधी आश्रम में इन दिनों गर्मियों की छुट्टियों को कलात्मक स्वरूप देने के उद्देश्य से बाल रंग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से बच्चे अपने भीतर छिपी हुई प्रतिभाओं को उभारने का काम कर रहे हैं। गांधी आश्रम की सचिव दमयंती पाणी ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक महीने की बच्चों की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुबह से योगाभ्यास, चित्रकला, गीत, संगीत, नृत्य और अभिनय की कक्षाओं में बच्चे अपनी कलाओं को निखारने का काम कर रहे हैं। युवा प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में शहर के कोने-कोने से बच्चे आकर प्राकृतिक वातावरण में अपनी छुट्टियों का समुचित उपयोग कर रहे हैं।

अवैध वसूली एवं नकल के दम पर छतरपुर जिले में होती है चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविधालय की परीक्षाएं ?

नकल के दम पर प्रमोशन पाने के चक्कर में ज्यादातर शासकीय कर्मचारी बनते है परीक्षार्थी हरिभूमि न्यूज, छतरपुर।

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविधालय चित्रकूट सतना मध्यप्रदेश द्वारा दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत शिक्षा केन्द्र के नाम पर जिले में विधालय संचालित किए जा रहे है। इन विधालयों में बी.ए, एम.ए से लेकर विभिन्न कोर्सों की परीक्षाएं संपन कराई जाती है। इन परीक्षाओं में बास्तविक छात्र परीक्षा में शामिल नहीं होते, बल्कि बह शासकीय कर्मचारी परीक्षा में शामिल होते है, जिन्हें अपनी सेवा काल में प्रमोशन की लालशा होती है। ऐसे कर्मचारी विधालय के संचालकों को हजारों रूपए देकर अपना एडमिशन कराते है, और साल भर विधालय के कभी दर्शन नहीं करते है। केवल परीक्षा के समय वह परीक्षा केन्द्र में जाकर परीक्षा देते है। जिसके बदले में विधालय के संचालक उनसे नकल और जिले के अधिकारियों के नाम पर निर्धारित फीस से अतिरिक्त दो से पाँच हजार रूपए बसूलते है। छतरपुर जिले में भी परीक्षा के नाम पर नकल का यह खेल लम्बे समय से चल रहा है।

जिले में बनाए गए 5 परीक्षा केन्द्र

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय द्वारा बर्ष 24-25 की परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए छतरपुर जिले में 5 परीक्षा केन्द्र बनाए गए है, और यह परीक्षा केन्द्र हर बर्ष निजी कार्यालय में बनाए जाते है। निजी कॉलेजों को परीक्षा केन्द्र बनाने के नाम पर भी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविधालय द्वारा लाखों रूपए की बसूली विधालय संचालकों से की जाती है। छतरपुर जिले में जो परीक्षा केन्द्र बनाए गए है। उनमें विधावती चतुर्वेदी शिक्षा महाविधालय किशोर सागर छतरपुर, एस.आर कॉलेज ऑफ एजुकेशन चौबे कालोनी, तक्षशिला महाविधालय राजमहल परिसर, राजाबलवंत सिंह महाविधालय खजुराहो रोड राजनगर और पं.डी.डी पाठक शिक्षा महाविधालय लवकुशनगर को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविधालय चित्रकूट द्वारा स्नातक स्तर की परीक्षाएं 15 मई से आयोजित की गई है। जो 31 मई तक उक्त परीक्षा केन्द्र में संचालित होगी। परीक्षाएं दो पालियों में संपन्न होगी।

छतरपुर जिले में अभी तक अधिकांश परीक्षा केन्द्र शहर से



दूर बनाए गए, ताकि परीक्षा के दौरान कोई भी अधिकारी निरीक्षण करने न पहुंच सके। खुलेआम होने वाली नकल में विवधान न आ सके। नाम न छापने की शर्त पर एक प्राइवेट कॉलेज के संचालक ने बताया कि चौबे कॉलोनी में संचालित माता सीता देवी प्राइवेट आईटीआई जिस बिल्डिंग में संचालित है, इस बिल्डिंग में डी.पी. आर कॉलेज के अलावा एस आर कॉलेज का होना बताया जा रहा। जबकि यह बिल्डिंग एक कॉलेज के लिए भी पूर्ण नहीं है, फिर भी इस बिल्डिंग के नाम पर कई कॉलेजों की मानता है, जो कि अधिकतर कॉलेज कागजों में चल रहे हैं। इन सभी फर्जीवाड़ा और नकल करने का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है ज्योति शुक्ला?। पूर्व में यह एस.आर. कॉलेज नौगांव रोड में ओरछा रोड दानाद न बिल्डिंग में संचालित होता था, जबकि उस बिल्डिंग में दो पहिया वाहन की एंजेंसी हुआ करती थी। फिर भी कागजों में दानाद न बिल्डिंग में विधालय संचालित होना दिखाया जाता रहा।

नकल सेंद्रों में दूर से खड़े रहते पहेदेदार -

जिन विधालयों में चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविधालय की परीक्षाएं संचालित होती है। वहां पर विधालय के संचालकों द्वारा कुछ पहेदेदार खड़े कर दिए जाते है। यह पहेदेदार परीक्षा केन्द्र से

100-200 कदम की दूरी पर खड़े होकर पूरी निगरानी करते है। और जब कोई अधिकारी निरीक्षण करने के लिए जाता है, तो यह पहेदेदार तत्काल सूचित कर देते है। विश्वविधालय की साठगांठ से इन परीक्षा केन्द्रों में नकल होती है। और विश्वविधालय के अधिकारी परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण सिर्फ कागजों में कर लेते है।

अधिकांश परीक्षार्थी होते है सरकारी कर्मचारी-

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविधालय द्वारा जो स्नातक और परा स्नातक स्तर एवं एक-दो वर्षीय डिप्लोमा के पाठ्यक्रम कराए जाते है। उनमे 60-70 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी होते है। क्योकि अधिकांश सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए स्नातक एवं परा स्नातक व डिप्लोमा कोर्स करते है। और इसी के आधार पर उन्हे नौकरी में उन्हे प्रमोशन प्राप्त हो जाता है। चूंकि सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन पाने के लिए सटिफि केट की जरूरत होती है। इसलिए वह कॉलेज संचालकों के माफिक सुविधा शुल्क देते हैं। यह भी देखा गया है कि जो सरकारी कर्मचारी परीक्षा में शामिल होते है, उनके द्वारा विभागीय तौर पर कोई भी अनुमति नहीं ली जाती है। जबकि नियम यह है कि सरकारी कर्मचारी बिना विभागीय अनुमति के परीक्षा में नहीं बैठ सकता।

संत शरीर आश्रम में चल रहा लक्ष्मी नारायण महायज्ञ



छतरपुर। मोटे के महावीर मंदिर स्थित संत शरीर महाराज आश्रम में इन दिनों विशाल धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है। मंदिर के महंत कमलेश बब्बाजू के ने बताया कि श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के साथ-साथ सप्तदिवसीय श्रीमद्भागवत कथा एवं श्रीराम कथा भी चल रही है, जिसका श्रवण करने डी संख्या में भक्तगण पहुंच रहे हैं। बीती शाम श्रीराम कथा सुना रहे कथा व्यास रामदास नाथीध महाराज ने महादान श्रीराम की बाल लीलाओं कोमोहारी वर्णन किया।

सेंट्रल लाइब्रेरी जुलाई से शुरु होने की संभावना विद्यार्थियों के लिए मिलेगी हाइटेक सुविधाएं

छतरपुर। छतरपुर की सिंचाई कॉलोनी में ढाई एकड़ जमीन पर साढ़े 5 करोड़ रुपये की लागत से बनी सेंट्रल लाइब्रेरी जुलाई 2025 से छात्रों के लिए खुलने की संभावना है। यह लाइब्रेरी शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी। लाइब्रेरी में शुरुआत में 20 हजार पुस्तकें उपलब्ध होंगी, जो यूपीएससी, नीट, जेईई, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयोगी होंगी। इसके अलावा, हाइटेक लैब, मुफ्त इंटरनेट, वाई-फाई, कंप्यूटर और आधुनिक फर्नीचर की सुविधा होगी। यह लैब छात्रों को ऑनलाइन संसाधनों और डिजिटल लर्निंग तक पहुंच प्रदान करेगी। ग्रामीण



क्षेत्रों के छात्रों को शहर में आकर अपनी पढ़ाई जारी रखने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए यह लाइब्रेरी एक सुनहरा अवसर देगी। लाइब्रेरी में शांत और अनुशासित पढ़ाई का माहौल सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम लागू किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि यह लाइब्रेरी न केवल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाएगी,

बल्कि युवाओं को उनके करियर और भविष्य को बेहतर बनाने में भी मदद करेगी। स्थानीय छात्रों और अभिभावकों ने इस पहल की सराहना की है। उनका कहना है कि यह लाइब्रेरी छतरपुर के शिक्षा क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी, खासकर उन छात्रों के लिए जो कोचिंग संस्थानों का खर्च वहन नहीं कर सकते।

भैरा पंचायत में बदहाल सफाई व्यवस्था गलियों में कीचड़ और गंदा पानी

हरिभूमि न्यूज, लवकुशनगर।

जनपद पंचायत लवकुशनगर की ग्राम पंचायत भैरा में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को सफाई के लिए हर साल लाखों रुपये का बजट दिया जाता है, लेकिन भैरा में यह राशि कागजों तक सीमित रह गई है। गलियों में गंदा पानी और कीचड़ फैला हुआ है, जिससे ग्रामीणों को नारकीय जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में घरों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण नहीं हुआ है। जहां नालियां हैं, वहां सफाई न होने से पानी गलियों में जमा होकर कीचड़ बनाता है। इस दुर्गंध और मच्छरों की भरमार से ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। कीचड़ भरी गलियों से गुजरना उनकी मजबूरी बन गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत को कई बार शिकायत करने के बावजूद सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। उन्होंने प्रशासन से गांव में नालियों का निर्माण और नियमित सफाई सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि स्वच्छता और स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हो सके।



एनटीपीसी विध्याचल ने बालिका सशक्तिकरण अभियान 2025” के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण का किया आयोजन

एनटीपीसी समुदाय विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, एनटीपीसी विन्ध्याचल ने बालिका सशक्तिकरण अभियान, 2025” के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण का आयोजन किया, जो कि 18 मई से शुरू होने जा रहा है। इस मिशन में सिंगरौली जिले के 20 सरकारी विद्यालयों की 120 बालिकाएं भाग लेंगी। तैयारी के क्रम में, 10 मई 2025 को क्षेत्रीय ज्ञानार्जन संस्थान में 45 प्रतिभागी बालिकाओं का बेसलाइन सर्वेक्षण आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य उनकी वर्तमान शैक्षणिक स्थिति का आकलन करना था ताकि प्रशिक्षण अधिक केंद्रित और प्रभावशाली हो सके। इस कार्यक्रम में श्री प्रणव वर्मा, उप मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी है, के प्रतिनिधियों के साथ-साथ प्रतिभागी बालिकाओं और उनके अभिभावकों की उपस्थिति रही। यह पहल एनटीपीसी विन्ध्याचल के समग्र बालिका सशक्तिकरण एवं शिक्षा के प्रयासों में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाती है।



महाप्रबंधक (मानव संसाधन), श्री निखिल जायसवाल, कार्यपालक(सीएसआर) तथा एम/एस हीरो माईडमाइन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, जो इस मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी है, के प्रतिनिधियों के साथ-साथ प्रतिभागी बालिकाओं और उनके अभिभावकों की उपस्थिति रही। यह पहल एनटीपीसी विन्ध्याचल के समग्र बालिका सशक्तिकरण एवं शिक्षा के प्रयासों में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाती है।

नेशनल लोक अदालत में सैकड़ों मामलों का हुआ निराकरण



छतरपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के मार्गदर्शन में शनिवार को छतरपुर जिला न्यायालय सहित संपूर्ण जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में सिविल, क्रिमिनल, विद्युत विभाग, नगर पालिका, बैंक, वित्तीय संस्थानों, ऋण और दूरसंचार विभाग से जुड़े प्रीलिटिगेशन व लैबित मामलों का आपसी सुनह-समझौते के आधार पर निराकरण हुआ।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंदर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस लोक अदालत के लिए जिला न्यायालय छतरपुर सहित तहसील न्यायालयों नौगांव, बिजानगर, लवकुशनगर, राजनगर और बड़मलहरा में कुल 28 खंडपीठों का गठन किया गया था। इसमें जिला न्यायालय मुख्यालय में 10 खंडपीठ और तहसील स्तर पर 18 खंडपीठों ने कार्य किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि लोक अदालत में बड़ी संख्या में पक्षकारों ने हिस्सा लिया और अपने लैबित राजनीमा योग्य प्रकरणों का निराकरण कराया। इस आयोजन ने आम जनता को त्वरित और सुलभ न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंदर सिंह ने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य आपसी समझौते के माध्यम से विवादों का त्वरित समाधान करना है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने आम जनता से अपेक्षित है की इस तरह के आयोजनों का लाभ उठाने की अपील की।

ख़बर संक्षेप

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 72 पंचायतों के सचिवों तथा जीआरएस को दिया नोटिस

हरिभूमि न्यूज रीवा । जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी महताब सिंह गुर्जर ने 9 मई को जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान के सभागार में जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल खेत तालाब निर्माण, रिचार्ज पिट बनाने तथा अन्य जल संरक्षण के कार्यों में रूचि न दिखाने पर 72 ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। नोटिस का दो दिवस में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि तीन खेत तालाब तथा 10 रिचार्ज पिट बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। जनपद की 72 ग्राम पंचायतों में से समय पर तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति जारी न करके निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई है। इससे शासन की उच्च प्राथमिकता में शामिल जल गंगा संवर्धन अभियान की लक्ष्य पूर्ति में बाधा आई है, जिसके कारण नोटिस दिया गया है।

हर आपात स्थिति के लिए सजग और तैयार है स्वास्थ्य विभाग

हरिभूमि न्यूज रीवा । वर्तमान परिस्थितियों तथा आसन कठिनाईयों को देखते हुए रीवा जिले में स्वास्थ्य विभाग हर आपात स्थिति के लिए सजग और पूरी तैयार है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजीव शुक्ला ने बताया कि शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार जिला और विकासखण्ड स्तर पर आपात स्थिति के लिए उपचार की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। जिला स्तर पर रैपिड एक्शन टीम, दवाईयों तथा उपकरणों के साथ 24 घण्टे तैनात है। रीवा शहर की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को स्थाई प्राथमिक उपचार केन्द्र के रूप में निर्धारित कर दिया गया है। सभी बीएमओ तथा अन्य मेडिकल स्टाफीसर्गों को जिले की आपातकाल रेफरल व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। आपातकालीन उपचार सुविधा के लिए 108 एंबुलेंस तथा सभी जननी सुरक्षा योजना के वाहनों को एलर्ट मोड पर रखा गया है। इनमें चिकित्साकर्मी तथा टेक्नीशियन जीवनरक्षक दवाओं के साथ तैनात कर दिए गए हैं। जो वाहन सुधार योग्य हैं उनमें तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी तरह की आपात सेवा की आवश्यकता होने पर 108 एंबुलेंस पर फोन किया जा सकता है। सेवा प्राप्त होने में किसी भी तरह की कठिनाई होने पर 108 सेवा के नोडल अधिकारी ऋषिराज गौतम के मोबाइल नम्बर 9425608569 पर संपर्क करके वांछित सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है कि शासन के निर्देशों के अनुसार सभी चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं।

थाना अमहिया पुलिस की नरो के खिलाफ कार्यवाही फरार मां बेटे को किया गिरफ्तार

मशीली कफ सिरप के मामले में फरार महिला सहित आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देशन एवं नगर पुलिस डॉ रिंतु उपाध्याय के मार्गदर्शन में थाना अमहिया पुलिस को मिली मुखबिर सूचना के आधार पर पूर्व में आरोपी गौरव उर्फ रामू सोनी पिता भैयालाल सोनी उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम मौडिया अमिलिया थाना अमिलिया जिला सोधी हाल अंजू जायसवाल को बाघना फूलमती मंदिर के पास रीवा थाना समान जिला रीवा के कच्चे से अबैध बशीली कफ सिरप जप्त कर थाना में अपराध क्र0 110/25 धारा स्वापक औषधि और मनप्राप्त एवं पदार्थ अधिनियम 8/21.22 एवं अपे्रधि अधिनियम 5/13 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।



हरिभूमि न्यूज रीवा

जिले में भखौरि जंगल में युवक की गला काटकर हत्या करते हुए वीडियो वायरल किए जाने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी मृतक युवक के दोस्त बताए गए हैं। पृष्ठछाछ में आरोपियों ने हत्या को वारदात को स्वीकार किया है। बता दे पैसो के लेन देन में आरोपियों ने क्रूरता की सारी हद्दे पार कर दी। अपने

मैहर से दर्शन कर वापस लौट रहे दंपति हादसे के हुए शिकार, डंपर की टोकर से बाइक सवार महिला की मौत



हरिभूमि न्यूज रीवा। मैहर से देवी दर्शन कर लौट रहे बाईक सवार दंपति सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसे में बाइक में सवार पत्नी की मौत हो गई । घटना के संबंध में मृतका ममता द्विवेदी निवासी ग्राम सजी थाना कोराव जिला प्रयागराज उत्तर प्रदेश के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि ममता अपने पति ओंकार द्विवेदी के साथ बाइक से मैहर देवी दर्शन करने गई थीं। जहां से वह वापस लौट रही थी इसी दौरान चोरहटा बाईपास में तेज रफ्तार डंपर के चालक ने बाइक की टक्कर मार दिया जिससे ममता की साड़ी डंपर में फंस गई और वह गिर गई। सड़क हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल

ममता की मदद के लिए उनके पति ओंकार द्विवेदी द्वारा डायल हंटेड पुलिस सहित 108 एम्बुलेंस और थाने को सूचना देने का प्रयास किया गया लेकिन कहीं भी फोन नहीं लगा । इसके बाद ओंकार ने गंभीर रूप से घायल पत्नी को एक ऑटो में लेकर अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मेडिकल परीक्षण के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि इस सड़क हादसे में ओंकार को भी चोट आई है वहीं घटना के बाद डंपर सहित चालक मौके से फरार हो गया है मृतका के परिजनों का आरोप है कि प्रशासन की लचक व्यवस्था के चलते ममता की मौत हुई है। घटना के बाद पुलिस मार्ग कायम कर दुर्घटनाकारित करने वाले चालक सहित डंपर की तलाश में लगी हुई है।

एक्सयूवी से तस्करी, 915 शीशी नशीली कफ सिरप जब्त तीन गिरफ्तार रायपुर कर्चुलियान थाना पुलिस ने कार्रवाई



हरिभूमि न्यूज रीवा। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर पुलिस द्वारा लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में रायपुर कर्चुलियान थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए नशीली कफ सिरप की एक बड़ी खेप जप्त की है। बीते शाम पुलिस ने एक एक्सयूवी वाहन से 915 शीशियों में भरी नशीली कफ सिरप बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत 1.83 लाख रुपये आंकी गई है। बता दें मिर्जापुर से रीवा की ओर आ रही नशे की इस खेप की भनक पुलिस को मुखबिर के माध्यम से लगी थी। इसके बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर डीएसपी उदित मिश्रा के नेतृत्व में तीन टीमें

गठित की गईं। इन टीमों में गुद थाना प्रभारी शैल यादव, अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल और रायपुर कर्चुलियान थाना प्रभारी अतुल त्रिपाठी शामिल थे। पुलिस ने रणनीतिक ढंग से अलग-अलग स्थानों पर वाहनों की निगरानी शुरू की और अंततः जोगिनहाई टोल प्लाजा के समीप एक्सयूवी को घेराबंदी कर रोका गया। वाहन की तलाशी में भारी मात्रा में नशीली सिरप बरामद हुई। पुलिस ने मौके से तीन लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें गुद निवासी अंकित विश्वकर्मा, हनुमना निवासी अभय पांडे और एक नाबालिग शामिल हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि यह सिरप मिर्जापुर से रीवा तस्करी के उद्देश्य से लाई जा रही थी। पुलिस अब मिर्जापुर में मौजूद मुख्य सलायक की तलाश में जुट गई है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री ने रीवा रिवर फ्रंट भाग दो का किया लोकार्पण निपनिया से पुष्पराज नगर तक नदी के दूसरे किनारे रिवर फ्रंट का कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा

हरिभूमि न्यूज रीवा । उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि पचमठा धाम स्थित निषादराज घाट से कोतवाली घाट तक बीहर रिवर फ्रंट के बन जाने से नदी के एक तरफ के रिवर फ्रंट का कार्य पूर्ण हो चुका है। आगामी चरण में निपनिया से पुष्पराज नगर तक नदी के दूसरे किनारे रिवर फ्रंट का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। आने वाले समय में बड़ी पुल के पास एनिकट बनाकर पानी में बाबा घाट से राजघाट तक क्रूम भी चलाया जाएगा। श्री शुक्ल ने फीता काटकर रिवर फ्रंट भाग दो का लोकार्पण किया तथा पैदल ही निषादराज घाट से कोतवाली घाट तक भ्रमण किया। रीवा के विकास में आज एक कड़ी और जुड़ गई जल उप मुख्यमंत्री ने पुनर्गन्तव्यीकरण योजना के तहत बीहर रिवर फ्रंट भाग दो को आमजन के लिए लोकार्पित किया। इससे पूर्व बीहर रिवर फ्रंट भाग एक आमजनों के लिए लोकार्पित किया जा चुका है। पचमठा धाम में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटक व रीवावासी रिवर फ्रंट से करकल बहती बीहर नदी के अप्रतिम सौन्दर्य को करीब से निहार सकेगें। रिवर फ्रंट का रखरखाव का दायित्व निर्धारित कर दिया गया है। व्यवस्थित ढंग से इसका रखरखाव हो। उन्होंने कहा कि पचमठा धाम जगत् स्थल है। आदि शंकराचार्य जी के चरण यहाँ पर पड़े थे। इसका वैभव पुनर्स्थापित हुआ है। उपेक्षा पर आस्था की विजय हुई है। यहाँ होने वाली बीहर आरती का दृश्य अद्भुत होता है। श्री शुक्ल ने



कहा कि भगवत कृपा से ही रीवा में विकास के कार्य हो रहे हैं। भगवान के स्थलों के जगज्ज होने से रीवा लगातार आगे बढ़ रहा है। रीवा में बनने वाली अधोसंरचनाओं व निर्माण कार्यों की देश एवं प्रदेश स्तर पर प्रशंसा हुई है। शहरवासियों का भी दायित्व है कि वह इन संरचनाओं को व्यवस्थित व सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आपरेेशन सिंक्रु से भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। एकजुटता के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। हमारा देश पचम वैभव पर पहुंचकर दिव्य हो नेतृत्व करेगा। इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री ने भगवान भोलेनाथ एवं हनुमान जी के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि आदर्श नगर में गौरवपूर्ण

रीवा, मऊगंज, सिंगरौली हरिभूमि 10

पैसों के विवाद में तीन दोस्तों ने गला काट कर युवक की थी निर्मम हत्या

हत्या का वायरल किया था वीडियो, पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का किया खुलासा

ही दोस्त का गला रेतकर नृशंस हत्या करने वाले आरोपी अब सलाखों के पीछे है। पुलिस ने आरोपी के साथ-साथ उसके दो साथियों को भी गिरफ्तार किया जिसने इस पूरे हत्याकांड का वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद किया था। हत्या की वजह आरोपी और मृतक के बीच गौवंश की तस्करी को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है। गौरतलब है कि 7 मई को गढ़ थाना क्षेत्र स्थित भौखरी के जंगल में पिपरहा गांव निवासी अभिषेक त्रिपाठी की आरोपियों ने बड़ी ही बेरहमी गला रेतकर नृशंस हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में खास बात यह थी कि आरोपियों ने गला रेतने का लाइव वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद किया फिर मृतक के परिजनों को भेज दिया। इलाके में हुए इस हत्याकांड के वीडियो वायरल होते ही परिजन और ग्रामीण सहित पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया जिसके बाद पुलिस भौखरी के जंगल में पहुंचकर मृतक के शव को बरामद किया था। बताया जा रहा कि आरोपी रजनीश मिश्रा और मृत अभिषेक त्रिपाठी सहित कई अन्य युवक गौवंश तस्करी के जुड़े थे। इसी के पैसों को लेकर इनके बीच विवाद हुआ था।

गौमाता की सेवा से ही मानव जाति का कल्याण होगा - उप मुख्यमंत्री प्रदेश का दुग्ध उत्पादन 50 लाख लीटर प्रतिदिन होगा - पशुपालन राज्य मंत्री



हरिभूमि न्यूज रीवा

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने होटल विजय विलास में आयोजित प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सक संघ के सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रित और बीमारी गौवंश की सेवा तथा पुनर्वास वर्तमान समय की बड़ी चुनौती है। सरकार आधुनिक गौशालाओं का निर्माण कराकर निराश्रित गौवंश को आश्रय देने तथा खेती को बचाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में उन्नत गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। इनमें हजारों गायों को नया जीवन मिलेगा। इस अभियान में निजी क्षेत्र की भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। गौमाता की सेवा से ही मानव जाति का कल्याण होगा। अगर गौमाता बेसहारा रही तो मानव जाति का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। रीवा में बसमान मामा गौवन्ध विहार में सात हजार से अधिक निराश्रित गायों को आश्रय दिया गया है। इन गायों की सेवा में पशु चिकित्सक बड़ी तत्परता और लगन से कार्य कर रहे हैं। शीघ्र ही हिनौती में भी आधुनिक गौशाला शुरू होगी जिसमें लगभग 25 हजार गौवंश को रखने का लक्ष्य रखा गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन को आधुनिक और व्यवस्थित बनाना आवश्यक है। पशुपालन को अपनकर ही किसान खेती की लाग का व्यवसाय बना सकेगें। गौवंश को दूध न देने पर बेसहारा छोड़ने को मानसिकता है। गौमाता यदि दूध नहीं दे रही है तो भी उसका गोबर और गौमूत्र बहुमूल्य है। गौमाता में देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए गोबर का उपयोग पूजा में भी किया

जाता है। आधुनिक गौशालाओं में गोबर से अनेक उपयोगी वस्तुएं बनाने के साथ सीएनडी प्लांट लगाए जा रहे हैं। पशु चिकित्सकों की सलाहना करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर तो रोगी से पूछकर उसका इलाज करते हैं। पशु चिकित्सक बेजुबान पशुओं के लिए भगवान की तरह हैं। समारोह में पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्यमंत्री लखन पटेल ने कहा कि पशुपालन विभाग को विभिन्न नवाचारों के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ यादव ने सदैव पशुपालन विभाग को प्राथमिकता दी है। डेयरी के विकास के लिए बाबा साहब अंबेडकर भी संवर्धन योजना लागू की गई है। इसमें कम से कम 25 ध्यारू पशु की एक यूनिट बनाई गई है। प्रत्येक यूनिट पर पशुपालक की अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना से डेयरी व्यवसाय को नया आयाम मिलेगा। अभी प्रदेश में 10 लाख लीटर दूध का प्रतिदिन संग्रहण होता है। इसे 50 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। समारोह में पशु चिकित्सा अधिकारियों की विभिन्न मांगों के संबंध में मंत्री ने कहा कि मेडिकल के डॉक्टरों की तरह पशु चिकित्सा अधिकारियों को भी सभी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। पशु चिकित्सा संघ की सभी उचित मांगें पूरी की जाएंगी। पशु चिकित्सा अधिकारियों का कार्य मानव के डॉक्टरों से अधिक कठिन और महत्वपूर्ण है। प्रदेश में हेल्पलाइन 1962 की गाड़ियों से पशुओं का उपचार बेहतर हुआ है। इन गाड़ियों की संख्या दुगुनी करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में निराश्रित गौवंश बड़ी चुनौती है। बेसहारा गायों के लिए प्रदेश में 22 स्थानों पर शीघ्र ही

बाल विवाह की सूचना पर पहुंची टीम, बिना शादी के लौटी बारात

हरिभूमि न्यूज रीवा।

जिले के गुड़ क्षेत्र के ग्राम खजुहाकला में नाबालिग बालिका के विवाह की सूचना मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संभावित बाल विवाह को रोक दिया। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। प्रशासन की टीम की कार्रवाई के बाद बारात लेकर आए लोग बिना शादी के वापस लौट गए। महिला बाल विकास विभाग के रीवा ग्रामीण-1 के परियोजना अधिकारी शेषनारायण मिश्रा और सेक्टर पर्यवेक्षक सपनाराम तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की। जांच में बालिका की आयु विवाह योग्य नहीं पाई गई, जिससे यह पुष्टि हुई कि यह बाल विवाह का मामला है। जांच टीम द्वारा बालिका के माता-पिता एवं बैकुंठपुर निवासी दूधना शहंशाह शाह को बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी दी। इस दौरान सभी को समझाया गया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है और बालिका की विवाह योग्य उम्र (18 वर्ष) होने तक विवाह नहीं किया जा सकता। गांव वालों की मौजूदगी में पंचनामा भी तैयार किया गया। इस दौरान शिवेन्द्र पटेल, प्रकाश पटेल, सुरुचि गुप्ता, विभा पटेल, विद्या द्विवेदी सहित अन्य मौजूद रहे।

मऊगंज में चोरी के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन पीड़ित ने एसपी ऑफिस में लगाई गहनों के बैग की प्रदर्शनी

हरिभूमि न्यूज

मऊगंज

जिले के नईगढ़ी में चोरी से पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अनोखा प्रदर्शन किया। पीड़ित ने चोरी हुए गहनों के खाली बॉक्स और बैग लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय

के सामने प्रदर्शन किया और अपनी पीड़ा बयां की। मामला नईगढ़ी थाना क्षेत्र के हरदी तिबरियान गांव का है। नईगढ़ी थाना अंतर्गत हरदी तिबरियान गांव के निवासी चंद्रमणि प्रसाद मिश्र के घर बीते दिनों चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। चोर घर से लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरत और नगदी



पार कर ले गए। पीड़ित परिवार के मुताबिक चोरी में 20 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है।चोरी की शिकायत नईगढ़ी थाने में की गई, लेकिन पुलिस ने महज डेढ़ लाख रुपये की चोरी की रिपोर्ट दर्ज की। इससे नाराज होकर पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का रुख

किया। उन्होंने चोरी हुए सामान के खाली बॉक्स और बैग को लेकर प्रदर्शन किया और अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाई।घटना की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे और पीड़ितों को समझाइश दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले में गंभीरता से जांच की जाएगी और जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा।

इन्होंने ने कहा

हम मामले की गंभीरता से जांच करवा रहे हैं। जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है। विक्रम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज